न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11 / 2023

उनवान

1 श्रीमती सरोज क्षेत्रपाल पत्नि श्री डॉ0 रमेश क्षेत्रपाल जाति हिन्दु पंजाबी निवासी कुन्दन नगर अजमेर

2 श्रीमती माया माघानी पत्नि श्री शंकर माघानी जाति सिन्धी, निवासी केशव नगर वैशाली नगर अजमेर ।

प्रार्थीयागण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री एन.एस.राजावत अभिभाषक प्रार्थीयॉगण
2. तहसीलदार अजमेर

दिनांक 15.06.2023

आदेश

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत चाचियावास में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया।

प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग खाता संख्या 01 के वर्किंग खसरा नम्बर 801 रकबा 12 बिस्वा भूमि को

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजकीय भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत विधिवत आवंटित की जाकर श्री हरजी पुत्र सुन्दरा, जाति रावत को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त भूमि के मूल खातेदार श्री हरजी पुत्र सुन्दरा, जाति रावत के स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.1996 से उसके विधिक वारिसान श्री मेघा व सेवा पुत्रगण स्व0 श्री हरजी एवं श्रीमती गोरी पत्नी श्री हरजी के नाम स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 01 पुराना 01 में तदानुसार अंकन कर दिया गया । विधिक वारिसान एवं सह खातेदारान श्रीमती गोरी पत्नि स्व0 श्री हरजी एवं मेघा व सेवा पुत्रगण स्व0 श्री हरजी जाति रावत द्वारा संयुक्त रूप से उक्त भूमि का 1/2 हिससे को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 21.07.2006 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के हक में विकय कर स्वामित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिये जाने पर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 21.07.2006 के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 638 दिनांक 16.07.2007 प्रार्थी संख्या 1 के नाम स्वीकृत कर दिया गया । श्रीमती गौरी पत्नि स्व0 श्री हरजी एवं मेघा व सेवा पुत्रगण स्व0 श्री हरजी जाति रावत द्वारा उक्त भूमि में निहित शेष 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28.03.2007 द्वारा प्रार्थी संख्या 02 को विकय किया जाकर स्वामित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिया जिस पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28.03.2007 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1238 दिनांक 5.10.2011 प्रार्थी संख्या 2 के नाम स्वीकृत किया जाकर खातेदारी दर्ज कर दी गई। वर्तमान में सम्पन्न भू–संशोधन की कार्यवाही पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 801 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 425/2779, 481 व 482 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर कायम किए गए, को भू–प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी द्वारा लिपिकिय त्रुटि कारित करते हुए वर्किंग जमाबंदी एवं संवत 2041 में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.96, 638 दिनांक 16.07.2007 एवं 1238 दिनांक 05.10.2011 को विलोपित करते हुए पुनः वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 798 में श्री हरजी पुत्र सुन्दरा जाति रावत के नाम दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार कारित लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर विधिवत रूप से स्वीकृत उक्त नामान्तकरण को अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किए जाने के आदेश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीयॉगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विधिवत नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.96, 638 दिनांक 16.07.2007 एवं 1238 दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

.10.2011 का अंकन वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 798 में किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए।

दौराने केम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग खसरा नम्बर 801 रकबा 12 बिस्वा पर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.1996 638 दिनांक 16.07.2007 एवं 1238 दिनांक 5.10.2011 के आधार पर हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 425/2779 रकबा 0.07, 481 रकबा 0.02, 482 रकबा 0.01 पर स्वयं के नाम इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 801 पर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.96 से खाता संख्या 01 में मेघा सेवा पि0 हजारी, मु0 गोरी बेवा हजारी के नाम तथा नामान्तकरण संख्या 638 दिनांक 16.07.2007 से विक्रेता मेघा, सेवा पिता हरजी व मु0 गोरी बेवा हरजी 1/2 हिस्सा के बजाय प्रार्थिया सरोज पत्नि रमेश क्षेत्रपाल के नाम 1/2 हिस्सा तथा नामान्तकरण संख्या 1238 दिनांक 05.10.2011 से विक्रेता मेघा, सेवा पिजा हजारी व मु0 गोरी बेवा हजारी के शेष 1/2 हिस्स पर केती प्रार्थिया संख्या 02 माया मघानी पत्नि शंकर मघानी 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज हुआ है। परन्तु हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 425/2779 रकबा 0.07, 481 रकबा 0.02, 483 रकबा 0.01 पर खातेदार हजारी पुत्र सुन्दरा जाति रावत के नाम अंकन दर्ज है । हाल रेकोर्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन दर्ज हुआ है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर की अनुसार मुताबिक वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 801 पर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 29.02.96 से खाता संख्या 01 में मेघा सेवा पि0 हजारी, मु0 गोरी बेवा हजारी के नाम तथा नामान्तकरण संख्या 638 दिनांक 16.07.2007 से विक्रेता मेघा, सेवा पिता हरजी व मु0 गोरी बेवा हरजी 1/2 हिस्सा के बजाय प्रार्थिया सरोज पत्नि रमेश क्षेत्रपाल के नाम 1/2 हिस्सा तथा नामान्तकरण संख्या 1238 दिनांक 05.10.2011 से विक्रेता मेघा, सेवा पिजा हजारी व मु0 गोरी बेवा हजारी के शेष 1/2 हिस्स पर केती प्रार्थिया संख्या 02 माया मघानी पत्नि शंकर मघानी 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज हुआ है। परन्तु हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 425/2779

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर